न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

मिसल सं0 73/2019 दायर तारीख 24–06–2019

कांशीराम पुत्र श्री रामसुख जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

----- वादी

बनाम

1–रामकुमार पुत्र श्री रामसुख जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2– एच डी एफ सी बैंक शाखा सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजाराम भादू , राजवीर भादू अभिभाषक वादीगण ।

2– अमित कुमार शर्मा प्रतिवादी नं0 1

3– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 14.10.2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी , अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1 एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15–16–25/0.759 हे0 ,पं0 नं0 77/383 किला नं0 13–18–23/0.759 हे0 कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम से जैरवाद खातेदारी भूमि रोही अमरपुरा जाटान से चकबन्दी पैमूद होने से चक 14 एस एल डी में पैमूद कि गई । बन्दोबस्त विभाग द्वारा किला बन्दी फिटिंग करते वक्त कास्तकार का रकबा 10 बिस्वा से कम होने पर रकबा काट दिया जाता तथा 10 बिस्वा या 10 बिस्वा से अधिक होने पर पूर्ण बिघा बना दिया जाता है । जिसके तहत वादी का रकबा 3–10बीघा से 4–00 बीघा पैमूद किया गया । लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी के 80 हिस्से के स्थान पर 70 हिस्सा ही अंकित किया गया। वादी का 80 हिस्सा अर्थात 1.012 हे0 तथा प्रतिवादी नं0 1 का 200 हिस्सा अर्थात 2.530 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चकबन्दी पैमूद होने पर चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15–16–25/0.759 हे0 ,पं0 नं0 77/383 किला नं0 13–18–23/0.759 हे0 कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा कर लिया और जिसके मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 कास्त चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 का घरेलू बंटवारा के मुताबिक शान्तिपूर्व कब्जा कास्त आज भी चला आ रहा है जिसके मुतातिबक वादी कांशीराम पुत्र श्री रामसुख के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 14 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 78/382 के किला नं0 15/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा) , 16/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा), 25/0.085 हे0 (पश्चिमी पासा), तथा प0 नं0 77/383 के किला नं0 13– 18–23/0.759 हे0 खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त तथा रामकुमार पुत्र श्री सुखराम के कब्जा कास्त की भूमि वाके चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15/0.169 हे0 (पूर्व पासा) 16/0.169 हे0 (पूर्व पासा) , 25/0.168 हे0 (पूर्व पासा) कमाण्ड खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम जैरवाद रकबा वाके चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 की कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का संयुक्त खाते की होने के कारण समय पर रकम जमा न कराने के कारण कृषि विकास सुविधा से वंचित यानि सहकारी सोसायटी द्वारा फसल के लिए बीज – खाद उर्वरक आदि नही मिल पाते है तथा सरकार समय– 2 पर कृषक के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है जिसमें भी संयुक्त खाते के कारण काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार कृषक घोषित करवाने के कानूनन मूश्तहक है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिसमें प्रतिवादी नं0 1 की तरफ से विद्वान अभिभाषक अमित कुमार शर्मा द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिसमें प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाना स्वीकार किया । इस आधार पर दोनो पक्षो में किसी प्रकार का विवाद नही होने के कारण तनकी कायम नही की गई । पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये ।

इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादी के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि राजस्व तहसील सूरतगढ के वाके चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/38[illegible] [illegible] 18 में किला नं0 9 ता 12, [illegible] —— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15–16–25/0.759 हे0 ,पं0 नं0 77/383 किला नं0 13–18–23/0.759 हे0 कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के नाम से जैरवाद खातेदारी भूमि रोही अमरपुरा जाटान से चकबन्दी पैमूद होने से चक 14 एस एल डी में पैमूद कि गई । बन्दोबस्त विभाग द्वारा किला बन्दी फिटिंग करते वक्त कास्तकार का रकबा 10 बिस्वा से कम होने पर रकबा काट दिया जाता तथा 10 बिस्वा या 10 बिस्वा से अधिक होने पर पूर्ण बीघा बना दिया जाता है । जिसके तहत वादी का रकबा 3–10बीघा से 4–00 बीघा पैमूद किया गया । लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी के 80 हिस्से के स्थान पर 70 हिस्सा ही अंकित किया गया। वादी का 80 हिस्सा अर्थात 1.012 हे0 तथा प्रतिवादी नं0 1 का 200 हिस्सा अर्थात 2.530 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चकबन्दी पैमूद होने पर चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15–16–25/0.759 हे0 ,पं0 नं0 77/383 किला नं0 13–18–23/0.759 हे0 कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा लगभग 25 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा कर लिया और जिसके मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 कास्त चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 का घरेलू बंटवारा के मुताबिक शान्तिपूर्वक कब्जा कास्त आज भी चला आ रहा है जिसके मुताबिक वादी कांशीराम पुत्र श्री रामसुख के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 14 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 78/382 के किला नं0 15/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा), 16/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा), 25/0.085 हे0 (पश्चिमी पासा), तथा प0 नं0 77/383 के किला नं0 13– 18–23/0.759 हे0 खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त जैरवाद रकबा में 3.542हे0 खातेदारी भूमि में 0.127 हे0 यानि 10 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज किया जाना चाहिए तथा कब्जा काश्त मुताबिक वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे । प्रतिवादी के अभिभाषक ने जबाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त जैरवाद रकबा में 10 हिस्सा वादी के नाम दर्ज होने से रह गया है जबकि खाते का रकबा पुरा है । तथा कब्जा काश्त मुताबिक हक कास्त करते आ रहे है । इसी के अनुसार खाता विभाजन करवाने के इच्छुक है ।

बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । मुताबिक जमाबन्दी संवत 2061 चक 14 एस एल डी

––4 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसील सूरतगढ के खाता सं0 29/108 पं0 नं0 77/382 , पं0 नं0 78/382 में कुल 3.542 हे0 अर्थात 14–00बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है । जिसमें वादी के नाम 70 हिस्सा अर्थात 3–10बीघा तथा प्रतिवादी के नाम 200 हिस्सा अर्थात 10–00बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड होने के कारण वादी का 10हिस्सा कम दर्ज हुआ है जबकि खाते में रकबा पूर्ण है । तथा वादी एवं प्रतिवादी के दावे व जबाब दावे में किसी प्रकार का कोई भी विरोध प्रकट नही होता है न ही ब्यानो व अन्य दस्तावैजो में कोई विरोधाभाष है । वादी के कब्जा काश्त को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किये जाने पर उक्त जैरवाद रकबा में वादी का 70 हिस्सा के स्थान पर 80 हिस्सा किया जाना एवं मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15–16–25/0.759 हे0 ,पं0 नं0 77/383 किला नं0 13–18–23/0.759 हे0 कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादी के नाम 70 हिस्सा के स्थान पर 80 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चक 14 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 78/382 के किला नं0 15/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा) , 16/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा), 25/0.085 हे0 (पश्चिमी पासा), तथा प0 नं0 77/383 के किला नं0 13– 18–23/0.759 हे0 खातेदारी भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा । डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

कांशीराम पुत्र श्री रामसुख जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ----- वादी

बनाम

1–रामकुमार पुत्र श्री रामसुख जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2– एच डी एफ सी बैंक शाखा सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 73 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी राजाराम भादू , राजवीर भादू एवं प्रतिवादी नं0 1 का अभिभाषक अमित कुमार शर्मा व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

चक 14 एस एल डी के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 77/382 मु0 नं0 18 में किला नं0 9 ता 12, 19 ता 22/2.024 हे0 पं0 नं0 78/382 मु0 नं0 19 किला नं0 15–16–25/0.759 हे0 ,पं0 नं0 77/383 किला नं0 13–18–23/0.759 हे0 कुल तादादी 3.542 हे0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादी के नाम 70 हिस्सा के स्थान पर 80 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चक 14 एस एल डी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 29/108 के पं0 नं0 78/382 के किला नं0 15/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा) , 16/0.084 हे0 (पश्चिमी पासा), 25/0.085 हे0 (पश्चिमी पासा), तथा प0 नं0 77/383 के किला नं0 13– 18–23/0.759 हे0 खातेदारी भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×.....फसदो की पालना..... .×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14.10.2020 को जारी की गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)